SPICES BOARD
(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

परिपत्र संख्या : 07/2021-22   18 अक्तूबर, 2021

विषय : चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा जीरे में निर्धारित नाशीजीवनाशी अवशेष का अधिकतम स्तर - बाबत

संदर्भ : स्पाइसेस बोर्ड परिपत्र संख्या 5/2021-22 दिनांक 16 सितंबर, 2021

ऊपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में, भारतीय दूतावास, बीजिंग के माध्यम से स्पाइसेस बोर्ड ने सामान्य प्रशासन सीमा शुल्क, चीनी जनवादी गणराज्य (जीएसीसी) से जीरे केलिए नाशीजीवनाशकों / रसायनों के नाम और अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) पर स्पष्टता प्राप्त की है। तदनुसार, जीरा के लिए नाशीजीवनाशकों/रसायनों के अद्यतन नाम और लागू सीमाएँ नीचे दी गई हैं:

क्रम संख्या	**नाशीजीवनाशी /रसायन**	**चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा निर्धारित सीमाएं (सितंबर, 2021 तक अध्यतन किया हुआ)**
1	Carbosulfan	0.07 mg/kg
2	Chlorpyrifos	1 mg/kg
3	Carbendazim	0.3 mg/kg
4	Cyfluthrin and beta-cyfluthrin	0.03 mg/kg
5	Cypermethrin and beta-cypermethrin	0.1 mg/kg
6	Malathion	1 mg/kg
7	Disulfoton	0.05 mg/kg
8	Accephate	0.2 mg/kg
9	Profenofos	5 mg/kg

इसके अलावा, सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन, चीनी जनवादी गणराज्य (जीएसीसी) ने सूचित किया है कि अक्तूबर 2021 से, भारत से निर्यात किए जानेवाले जीरे की खेप के साथ सरकारी संगठन द्वारा जारी अनुमोदित नाशीजीवनाशी अवशेष जांच रिपोर्ट होनी चाहिए। स्पाइसेस बोर्ड ने भारतीय दूतावास, बीजिंग के साथ मिलकर लगातार किए विचार-विमर्शों के माध्यम से जीएसीसी से अनुरोध किया है कि वह जीरा के लिए अनुमोदित नाशीजीवनाशी अवशेष जांच रिपोर्ट की अपेक्षा की छूट पर विचार करे या दिसंबर 2021 तक यथास्थिति बनाए रखते हुए अपेक्षा लागू करने के लिए जनवरी 2022 तक विस्तार प्रदान करे और जीएसीसी से आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में है।

यदि जीएसीसी द्वारा अनुमोदित नाशीजीवनाशी अवशेष जांच रिपोर्ट की आवश्यकता को माफ/विस्तारित नहीं किया जाता है, तो स्पाइसेस बोर्ड, नाशीजीवनाशी अवशेषों (जैसा कि ऊपर तालिका में दिया गया है) के लिए चीन को निर्यात किए जानेवाले जीरे का अनिवार्य नमूनन और जांच शुरू करेगा और जीरा का निर्यात करेगा और स्पाइसेस बोर्ड से अनुमोदित जांच रिपोर्ट से ही चीन केलिए जीरे का निर्यात संभाव हो सकता है।

निदेशक(विपणन)

सेवा में,
मसाले और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

(फाइल नंबर से जारी: एमकेटी-क्यूआर/0001/2020-मार्केटिंग - 18053)

सुगंध भवन, पालारिवट्टम पी.ओ. /Sugandha Bhavan, Palarivattom P.O, कोच्ची /KOCHI:682025, केरल/ Kerala, भारत/INDIA
दूरभाष / Ph.: 0484-2333610-616 **इ-मेइल / E-mail: mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com**